न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 106/2020 जिला सीकर ।

1. मनोहर सिंह
2. बजरंग सिंह

पुत्रान भैरू सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत सिंहासन जरिये सरंपच पंचायत समिति पिपराली जिला सीकर
2. मनोहर सिंह पुत्र भान सिंह
3. करण सिंह पुत्र फतेह सिंह
4. तोप कंवर पत्नि श्रवण सिंह
5. सुमन कंवर पत्नि पाबूदान सिंह
6. उच्छव कंवर पत्नि रणजीत सिंह
7. मोहन कंवर पत्नि फतेह सिंह
8. जितेन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह
9. चन्द्रपाल सिंह पुत्र भान सिंह
10. मनोहर सिंह पुत्र मदन सिंह
11. माधो सिंह पुत्र भान सिंह
12. बजरंग सिंह पुत्र मदे सिंह (मृतक)

12/1 श्रवण सिंह पुत्र स्व0 बजरंग सिंह
12/2 कमोद कंवर पुत्री स्व0 बजरंग सिंह
12/3 अनिता कंवर पुत्री स्व0 बजरंग सिंह
12/4 मगन कंवर पत्नि स्व0 बजरंग सिंह
जाति राजपूत निवासी ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर

13. विक्रम सिंह पुत्र जगमाल सिंह
14. मान कंवर पत्नि उम्मेद सिंह
15. बोदू सिंह पुत्र मदन सिंह
16. मनोहर सिंह पुत्र मानसिंह
17. सिरम कंवर पत्नि मोहन सिंह
18. सायर कंवर पत्नि मदन सिंह
    जाति राजपूज निवासी ग्राम सिंहासन तहसील व जिा सीकर
19. लिछमण सिंह पुत्र लखु राम जाति जाट निवासी ढाका की ढाणी ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 28.08.2017 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री गोगराज चौधरी।

निर्णय

दिनांक–29.07.2021

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 28.08.2017 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के साथ दिनांक 19.08.2020 को प्रस्तुत हुई है ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सीकर ने पत्रांक 3631 दिनांक 23.12.2016 के द्वारा ग्राम सिंहासन, तहसील व जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 49, 50, 48, 43, 41, 820/40, 821/40, 777/73, 834/72, 833/72, 835/75, 79, 83, 85, 97, 96, 94, 185, 193 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी सीकर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा दिये गये निर्देश की पालना में ग्राम सिंहासन के खसरा नम्बर 49, 50 में स्थगन आदेश होने के कारण छोडते हुये ग्राम सिंहासन के शेष खसरा नम्बर 48, 43, 41, 820/40, 821/40, 777/73, 834/72, 833/72, 835/75, 79, 83, 85, 97, 96, 94, 185, 193 में से प्रस्तावित रकबा का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करते हुये गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये।

3. न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 28.08.2017 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंटन की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 20 ने अपे पत्र कमांक भू0अ0/17/3631 दिनांक 23.12.2016 ग्राम सिंहासन के खसरा नम्बर 49, 50, 48, 43, 41, 820/40, 821/40, 777/73, 834/72, 833/72, 835/75, 79, 83, 85, 97, 96, 94, 185, 193 में से प्रस्तावित रकबा को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने हेतु प्रस्ताव भिजवाये गये, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण व अन्य काबिज खातेदार काश्तकारो को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 28.08.2017 को निर्णय पारित कर दिया। प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट पर खातेदारो काश्तकारो के हस्ताक्षर नही है तथा उनकी सहमति भी नही ली गई हैं। अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 833/72, 834/72, 835/75 में मौके पर कोई रास्ता नही है तथा उक्त खसरा नम्बर से किसी का भी ककोई आवागमन नही है। अधिनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प.3(2)राज–6/2003/पार्ट /जयपुर दिनांक 10.8.2016 के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया गया है जबकि उक्त नियमो में ऐसा कोई प्रावधान नया रास्ता निकालने बाबत नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में रास्ते के संबंध में विशेष प्रावधान बने हुये है जिनके तहत रास्ते के संबंध में पीडित पक्षकार द्वारा कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन उक्त प्रावधानो के तहत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र प्ररतुत नही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के प्रतिपादित सिद्धांतो की अनदेखी कर व किसी प्रकार की कोई जांच नही कर एवं अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नही कर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2017 को निरस्त किया जावे। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे तथा विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2017 निरस्त किया जावे ।

Scanned by CamScanner

6. मैने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रकरण के गुणावगुण व तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार सीकर के प्रस्ताव दिनांक 23.12.2016 के अनुसार ग्राम सिंहासन, तहसील व जिला सीकर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 49, 50, 48, 43, 41, 820/40, 821/40, 777/73, 834/72, 833/72, 835/75, 79, 83, 85, 97, 96, 94, 185, 193 में से प्रस्तावित रकबा गैर को सार्वजनिक उपयोग में लेने हेतु राजस्व रिकार्ड में मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के तहसीलदार सीकर ने उपखण्ड अधिकारी सीकर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर ने ग्राम सिंहासन के खसरा नम्बर 49, 50 में स्थगन आदेश होने के कारण छोडते हुये ग्राम सिंहासन के शेष खसरा नम्बर 48, 43, 41, 820/40, 821/40, 777/73, 834/72, 833/72, 835/75, 79, 83, 85, 97, 96, 94, 185, 193 में से प्रस्तावित रकबा का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करते हुये गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने बाबत अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2017 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलान्ट्स प्रश्नगत अपीलार्धीन आदेश दिनांक 28.08.2017 से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रभावित पक्षकारो को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एकतरफा तथा अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर बिना विधिक प्रकिया अपनाये पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। उपर्युक्त विवेचन से सपष्ट है कि अपीलाधीन आदेश विधिक प्रकिया को पूर्ण किये बगैर पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2017 निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी सीकर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात से प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

8. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

9. निर्णय आज दिनांक 29.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner